UPGZ010029452026

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 4 गाजियाबाद।

उपस्थित: शिव कुमार तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.Code No. U.P.1646

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–510/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–1299/2026

आदेश कुमार पुत्र स्व० श्री जिल्ले सिंह निवासी राधाकृष्ण बिहार, निवाड़ी रोड फायर स्टेशन के पास गली नंबर–2, थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन ।

मु० अ० सं०–61/2026
धारा–115(2),352 BNS व 25(1) आर्म्स एक्ट।
थाना–मोदीनगर, जिला– गाजियाबाद।

दिनांक 24.03.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आदेश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–61/2026 धारा 115(2),352 BNS व 25(1) आर्म्स एक्ट, थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा व फर्जी फसाया है, प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल कतई निर्दोश है तथा उपरोक्त अपराध से कोई वास्ता ताल्लूक कतई नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष के पास कोई स्वतंन्त्र साक्ष्य नही है. यदि है तो वह मनघंढत व फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा सादा कानून में आस्था रखने वाला सेवानिवृत सैनिक हवलदार व्यक्ति है प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले से कोई लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है। वादिनी मुकदमा श्रीमति कविता कुमारी द्वारा उक्त मुकदमें में घटना 13.11.2025 से 07. 02.2026 के बीच दर्शाई है। जो खूब सोच समझकर 2 महीने 26 दिन की देरी से दर्ज कराई है। जो पूर्ण रूप से संद्विध है। जिसका प्रार्थी/अभियुक्त से कोई लेना–देना बिलकुल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा वादिनी श्रीमति कविता कुमारी जो प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी है व पुत्र दीपांशु ने मार–पीट कर धक्का देकर दिनांक 11.10.2025 को घर से निकाल दिया था। जब से प्रार्थी/अभियुक्त दर–दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी के के साथ किसी प्रकार की कोई मार–पीट नहीं की है ना ही कोई धमकी दी है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादिनी मुकदमा (पत्नी) व पुत्र दीपांशु ने मानसिक व शारिरिक रूप से लगातार प्रताडित किया हुआ था और प्रार्थी/अभियुक्त के जरूरी मूल अभिलेख (पेंशन बुक.ए. टी.एम.ई.सी.एच.एस कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, शस्त्र लाईसेंस, मकान, जोत की जमीन आदि) अपनें कब्जे में ले रखा है। जिसकी अनेको शिकायतें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस व सेना बोर्ड को की गयी है। वादिनी मुकदमा (पत्नी) व पुत्र दीपांशु ने प्रार्थी/अभियुक्त को इस

हद तक प्रताडित किया की प्रार्थी/अभियुक्त ने माननीय राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु मांगने के लिये प्रार्थना पत्र भी प्रसतुत कर दिया था। वादिनी व उसके पुत्र द्वारा किये गये कृत्य की शिकायतों से बचने व दबाव बनाने के लिये वादिनी मुकदमा (पत्नी) ने उक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर साजिश के विरूद्ध दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा वादिनी (पत्नी) व पुत्र दीपांशु ने मार–पीट कर धक्का देकर दिनांक 11.10.2025 को घर से निकाल दिया था जब से प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर नहीं गया है। कथित कारतूसों की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त से नहीं हुई है। कथित कारतूस वादिनी मुकदमा नें स्वंय पुलिस को दिये है। जिस से यह साफ है कि उक्त कारतूस मुकदमा वादिनी व उसके पुत्र दिपांशु नें मिलि भगत कर अपने पास से देकर प्रार्थी/अभियुक्त के होने दर्शाए है। प्रार्थी/अभियुक्त 32 बोर व 315 बोर वैध शस्त्र लाईसेंस धारक है। उक्त अपराध में दर्शाए प्रतिबंधित 7.62 व 9 एम.एम बोर कारतूस से प्रार्थी / अभियुक्त का कोई वास्ता व ताल्लूक बिलकुल कतई नहीं है। मुकदमा वादिनी (पत्नी) व पुत्र दीपांशु प्रार्थी/अभियुक्त को जेल भिजवाकर प्रार्थी/अभियुक्त की सम्पत्ति पर पूर्ण कब्जा स्थापित करना चाहते है। जिस कारण दोनो में मिलकर उक्त फर्जी घटना रचकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तारी की प्रबल आशंका है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य परिवार का सदस्या है तथा अपनी माकूल जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। और न ही रहा है।

4– संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा का नाम कविता कुमारी पत्नी आदेश कुमार ग्राम नूरपुर थाना मसूरी के रहने वाले है। उसकी शादी फरवरी 1997 में हुई थी। उसके पति फौजी है। शराब पहले से पीते है, लेकिन हमने उनसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो सारे दिन नशे मे रहते और गंदी गंदी गाली देना व मारपीट भी करते है। सितम्बर व नवम्बर में दो बार बुरी तरह से पिटाई करके 13 Nov 2025 के घर से भाग गये और हमारे खिलाफ कई जगह रिपोर्ट दर्ज करायी कि हमने उनके हथियार और लाइसेंस छिपाया है। अभी लगभग एक हफ्ते पहले उन्होने मेरठ मे मीडिया के सामने बयान दिया उनका लाइसेन्स और हथियार हमारे पास है। उसने डरते हुए अपने घर मे अपने पति के बक्से मे ढूंडा तो उनके बक्से से कुछ कारतूस मिले जो गिनती मे 42 थे जिनमे से 7.62 के 35 कारतूस व 9mm के 5 तथा दो बडे 12 बोर के कारतूस मिले। वह डर गयी इसलिए 5 feb मे सोल्जर बोर्ड गये थे उनके कहने पर ही बरेली जाट रजिमेंट गये वहा Lt col Arpan Dixit sir से Ph. पर बात हुई उन्होने सिविल पुलिस को देने के लिए कहा इसलिए हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित कविता 07.02.2026 को उसने 112 नं0 पर काल करके पुलिस को सूचना दी थी और उनको हैडओवर किया ये सारा सामान उसके पति ने नवम्बर में अपने भांजे गुड्डू (उर्फ विकास) गांव चौवला उसको एक हथियार दिया था जो राईफल जैसा था उसका नाम उसका नहीं पता जो बयान उसने 1.0 Sir को दिये विडियो के जरिये वो ही उसका final statement है।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6– आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी/वादिनी मुकदमा के साथ कोई मारपीट या धमकी नहीं दी गई है।

7– इसके विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट करके व धमकी देकर उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

8– आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 115(2),352 BNS, 25(1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अग्रिम जमानत दिये जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थन्ना पत्र में यह उल्लेख किया गया है। उसके तथा वादिनी मुकदमा के मध्य पारिवारिक संबंध है और आरोपित अपराध भी उस प्रकृति का है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति के अनुसार यह प्रकरण आवेदक तथा पीड़िता के मध्य वैवाहिक विवाद व पारिवारिक विवाद से संबंधित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में अपनी

गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई.** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति को देखते हुए इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना अग्रिम जमानत दिये जाने का प्रर्याप्त आधार है।

आदेश

9– आवेदक/अभियुक्त आदेश कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त आदेश कुमार को गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित विवेचक द्वारा उसकी संतुष्टि पर अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानत प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तानुसार अग्रिम जमानत पर दौरान विवेचना रिहा किया जायेगा–

1– आवेदक/अभियुक्त जैसे और जब अपेक्षा की जाएगी,विवेचक के समक्ष विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होंगे।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि उसे ऐसे तथ्य को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट नहीं करने के लिए मनाया जा सके।

3– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगें।

4– आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया है ।

दिनांक–24.03.2026

(शिवकुमार तिवारी)
J.O.Code No. U.P.1646
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 4,
गाजियाबाद।

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.24 17:02:16 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court